



भारत सरकार / Government of India

# सरकारी राजपत्र OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन  
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND  
DAMAN AND DIU

श्रेणी - १  
SERIES - I

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUTHORITY

Daman 15<sup>th</sup> November, 2024 24 Kartika, 1946 (Saka) No. : 03

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन  
परिवहन विभाग,  
दमण.

70/परि.दमण/2024

सं. स.नि.परि./89/फा-79खंडII/2024/271.

दिनांक :- 14/11/2024

## अधिसूचना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) की धारा 65 एवं 211 तथा यथासंशोधित 1994 का अधिनियम संख्या 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दमण एवं दीव मोटर वाहन नियम, 1989 को निम्नानुसार संशोधित करते हैं :

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :
  - इन नियमों को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव पसंदीदा पंजीकरण संख्या/चिह्न नियम, 2024 कहा जाएगा।
  - ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव पसंदीदा पंजीकरण संख्या/चिह्न नियम, 2024 के लागू होने के बाद से, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में आवेदक की पसंद पर पंजीकरण नंबरों के आवंटन के लिए शुल्क लगाने से संबंधित नियम निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-
  - गैर-परिवहन वाहन :-
    - अनुसूची-1 के भाग 'ए' के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पंजीकरण संख्या / चिह्नों का आवंटन, ई-नीलामी के माध्यम से चयनित उच्चतम बोलीदाता को उपलब्ध कराया जाएगा और गैर-परिवहन चार पहिया वाहनों और दो पहिया वाहनों के संबंध में क्रमशः उक्त अनुसूची के कॉलम 3 और कॉलम 4 में उल्लिखित पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर ही आवंटित किया जाएगा।

- (ii) नए गैर-परिवहन चार पहिया वाहनों या दो पहिया वाहनों की खरीद पर मौजूदा पंजीकरण संख्याओं को बरकरार रखने की अनुमति केवल अनुसूची - I के भाग (बी) के कॉलम (3) में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर ही दी जाएगी। बशर्ते पंजीकरण संख्या को बरकरार रखने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब पंजीकरण संख्या बरकरार रखने के लिए आवेदन की तारीख तक आवेदक के नाम पर न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत रहा हो।
- (ख) परिवहन वाहन :- अनुसूची-II के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पंजीकरण संख्याओं का आवंटन, ई-नीलामी के माध्यम से चयनित उच्चतम बोलीदाता को उपलब्ध कराया जाएगा और परिवहन वाहनों के संबंध में उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर ही आवंटित किया जाएगा।
- (ग) नीलामी, जहां लागू हो, **वाहन** पोर्टल पर ई-नीलामी के माध्यम से अथवा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के परिवहन विभाग द्वारा विकसित किसी अन्य ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- (घ) सरकारी या अर्ध-सरकारी या सरकारी उपक्रमों से संबंधित वाहनों जैसे कि दोपहिया वाहनों/हल्के मोटर वाहनों/परिवहन वाहनों के लिए पंजीकरण संख्या, किसी भी श्रेणी या श्रृंखला की परवाह किए बिना बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के खुली श्रृंखला से आवंटित की जाएगी। पंजीकरण प्राधिकारी को इन संख्याओं को आवंटित करने का प्राधिकार होगा।
- (ङ) इन नियमों के तहत पंजीकरण संख्या, उपलब्धता के अधीन, केवल संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित श्रृंखला से ही आवंटित की जाएगी। जो श्रृंखला अभी तक नहीं खोली गई है, उससे पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (च) इन नियमों के अंतर्गत आवंटित पंजीकरण संख्याएं हस्तांतरणीय नहीं होंगी।
- (छ) नीलामी में भाग लेने के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- (ज) पसंदीदा पंजीकरण संख्या जारी करने और नीलामी के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- (झ) सचिव (परिवहन), दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव नई श्रृंखला खोलने के लिए अनुमोदन जारी करने तथा इस नियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- (ट) संघ प्रदेश के सभी जिलों में एक समय में आवंटन के लिए 0001 से 9999 तक की नंबर वाली दो अलग-अलग श्रृंखलाएं होंगी, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

श्रृंखला	नंबर	वाहनों का प्रकार
श्रृंखला-I	0001 से 9999	हल्के मोटर वाहन (गैर-परिवहन)
श्रृंखला-II	0001 से 9000 एवं 99909	दो पहिया वाहन (गैर-परिवहन)
	9001 से 9998	परिवहन वाहन

संबंधित श्रृंखला में नंबर समाप्त होने के बाद, पंजीकरण प्राधिकारी उस विशेष श्रेणी के लिए एक नई श्रृंखला खोलेगा। बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी, नागरिकों को बेहतर विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से, सचिव (परिवहन), दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के पूर्व अनुमोदन से तथा उस चल रही श्रृंखला में न्यूनतम 75% नंबर आवंटित किए जाने के बाद एक नई श्रृंखला शुरू कर सकता है।

3. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव पसंदीदा पंजीकरण संख्या नियम, 2024 के लागू होने से -
  - i. दादरा एवं नगर हवेली मोटर वाहन नियम, 1991 के नियम 58ए के प्रावधान दादरा एवं नगर हवेली में लागू नहीं होंगे।
  - ii. दमण एवं दीव मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 315 के प्रावधान दमण एवं दीव में लागू नहीं होंगे।
  - iii. ये नियम इस संबंध में जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों या अनुदेशों का स्थान लेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिपत्र या प्रशासनिक आदेश को इन नियमों के प्रावधानों पर वरीयता नहीं दी जाएगी।

अनुसूची - I

गैर-परिवहन वाहन

भाग - ए

श्रेणी	पंजीकरण चिह्न/संख्या										प्रत्येक नंबर के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य		आवंटन का तरीका
											चार पहिया वाहन (दर रु. में)	दो पहिया वाहन (दर रु. में)	
1	1										3,00,000	50,000	ई-नीलामी के माध्यम से
2	2 से 9										1,00,000	25,000	
3	0011	0018	0022	0027	0033	0036	0044	0045	0055		1,00,000	25,000	
	0054	0063	0066	0072	0077	0081	0088	0090	0099				
	0100	9000	9999	0123	1234	1111	7777	8888	0786				
4	0111	0222	0333	0444	0555	0666	0777	0888	0999		60,000	20,000	
	2222	3333	4444	5555	6666	1000	2000	3000	4000				
	5000	6000	7000	8000	7860								
5	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	NA		50,000	15,000	ई-नीलामी के माध्यम से
	1010	2020	3030	4040	5050	6060	7070	8080	NA				
	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900				
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900				
	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900				
	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900				
	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900				
	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900				
	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900				
	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900				
	9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900				

6	0101	0202	0303	0404	0505	0606	0707	0808	0909	30,000	10,000	ई-नीलामी के माध्यम से
	1212	1313	1414	1515	1616	1717	1818	1919	NA			
	2121	2323	2424	2525	2626	2727	2828	2929				
	3131	3232	3434	3535	3636	3737	3838	3939				
	4141	4242	4343	4545	4646	4747	4848	4949				
	5151	5252	5353	5454	5656	5757	5858	5959	NA			
	6161	6262	6363	6464	6565	6767	6868	6969				
	7171	7272	7373	7474	7575	7676	7878	7979				
	8181	8282	8383	8484	8585	8686	8787	8989				
	9191	9292	9393	9494	9595	9696	9797	9898				
	7861	7862	7863	7864	7865	7866	7867	7868	7869			
	1786	2786	3786	4786	5786	6786	7786	8786	9786			
	1001	2002	3003	4004	5005	6006	7007	8008	NA			
7	कोई अन्य पंजीकरण नंबर जो श्रेणी 01 से 06 में उल्लिखित नहीं है, उसे पंजीकरण नंबर की श्रृंखला में नंबरों के कालानुक्रमिक क्रम (chronological order) को बदलकर व्यक्ति द्वारा पसंद के पंजीकरण चिह्न के रूप में मांगा जा सकता है। आवंटन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर किया जाएगा।									15,000	5,000	पहले आओ पहले पाओ के आधार पर

## भाग -बी

पंजीकरण संख्या	वाहन का वर्ग	लगाया जानेवाला शुल्क
1	2	3
नये गैर-परिवहन चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन की खरीद पर मौजूदा पंजीकरण चिह्न को बरकरार रखना।	चार पहिया वाहन	बरकरार रखे जाने वाले नंबर की श्रेणी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10% या रु. 15,000/- जो भी अधिक हो
	दो पहिया वाहन	बरकरार रखे जाने वाले नंबर की श्रेणी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10% या 5,000/- रुपये जो भी अधिक हो

## शर्तें :-

- पंजीकरण चिह्न को बरकरार रखने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब पंजीकरण चिह्न, बरकरार रखने हेतु किए गए आवेदन की तारीख तक आवेदक के नाम पर न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत रहा हो।
- बरकरार रखने की अनुमति केवल सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर ही दी जाएगी।

## अनुसूची - II

## परिवहन वाहन

श्रेणी	पंजीकरण चिह्न/संख्या								दर रु. में	आवंटन का तरीका
(1)	(2)								(3)	(4)
1	9009	9099	9100	9200	9300	9400	9500	9600	20,000	ई-नीलामी के माध्यम से
	9700	9786	9800	9900	9909	9990	9191	9292		
	9393	9494	9595	9696	9797	9898				

2	कोई अन्य पंजीकरण चिह्न जो श्रेणी 01 में उल्लिखित नहीं है, उसे पंजीकरण चिह्नों की श्रृंखला में संख्याओं के कालानुक्रमिक क्रम (chronological order) को बदलकर व्यक्ति द्वारा पसंद के पंजीकरण चिह्न के रूप में मांगा जा सकता है। आवंटन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर किया जाएगा।	10,000	पहले आओ पहले पाओ के आधार पर
---	--	--------	--------------------------------------

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव  
के आदेश तथा नाम से

ह/-

(आशीष मोहन)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (परिवहन)

**UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu  
Transport Department  
Daman**

70/TRANDMN/2024

No. ADTr./89/F-79Vol.II/2024/271

Dated: 14/11/2024

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 65 & 211 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and as amended by Act No. 54 of 1994, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to amend the Daman & Diu Motor Vehicles Rules, 1989 as follows:

1. Short title and commencement:

(3) These Rules may be called the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu choice registration number/mark rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

2. On and from the commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu choice registration number/mark rules, 2024, the rules related to the levy of fee for assignment of registration numbers at the choice of the applicant in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall be substituted as below: -

a) Non-Transport Vehicles: -

(i) The assignment of registration numbers/mark as specified in column (2) of the Part A of Schedule-I, shall be made available to the highest bidder selected through e-auction and assigned only on payment of choice registration fee mentioned at column 3 and column 4 of the said schedule in respect of non-transport four wheeled vehicles and two wheeled vehicles respectively.

(ii) The retention of existing registration numbers on purchase of new non-transport four wheeled vehicles or two wheeled vehicles shall be allowed on payment of fee specified under column (3) of part (B) of schedule – I. Provided that the retention of registration number shall be allowed only if the registration number has remained registered in the name of the applicant for a minimum period of three years, as on the date of application for retention.

b) Transport Vehicles: - The assignment of registration numbers mentioned in column (2) of the Schedule – II, shall be made available to the highest bidder selected through e-auction and assigned only on payment of choice registration fee mentioned at column 3 of the said schedule in respect of transport vehicles.

- c) The auction where applicable shall be conducted through e-auction on VAHAN portal or any other online system developed by the Department of Transport, UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
- d) The Registration Numbers for vehicles belonging to the Government or Semi-Government or Government Undertaking shall be allocated irrespective of class or series i.e. Two-Wheeled Vehicles / Light Motor Vehicles / Transport Vehicles from the open series without any requirement of additional fee. The Registering Authority will exercise the authority to allot these numbers.
- e) The registration number under these rules shall be allotted only from the prevailing series in the jurisdiction of the concerned Registering Authority, subject to the availability. No request for allotment of registration number from a series not yet opened shall be entertained.
- f) Registration Numbers so allotted under these rules will be non-transferrable.
- g) The fees paid for the participation for the auction will be not be refundable.
- h) The decision of the Registering Authority as regards issue of choice registration numbers and auction shall be final.
- i) The Secretary (Transport), Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu shall be the Competent Authority for issuing approval for opening of new series and for issuing any clarification regarding implementation of this rule.
- j) There shall be two separate running series with the numbers starting from 0001 to 9999 for allocation at a time in all the districts of the Union Territory, as mentioned below: -

Series	Numbers	Type of Vehicles
Series I	0001 to 9999	Light Motor Vehicles (Non-Transport)
Series II	0001 to 9000 and 9999	Two Wheeled Vehicles (Non-Transport)
	9001 to 9998	Transport Vehicles

After exhausting the numbers in the respective series, the Registering Authority shall open a new series for that particular category. Provided that the Registering Authority, with a view to provide better option to the citizens, can start a new series subject to the prior approval of the Secretary (Transport), Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu and a minimum 75% of the numbers in that running series have been assigned.

3. On and from the commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Choice Registration Number Rules, 2024 -
- iv. the provisions of Rule 58A of the Dadra & Nagar Haveli Motor Vehicles Rules, 1991 shall not be applicable to the Dadra and Nagar Haveli.

- v. the provisions of Rule 315 of the Daman & Diu Motor Vehicles Rules, 1989 shall not be applicable to the Daman and Diu.
- vi. These Rules shall supersede all the earlier orders or instructions issued in this behalf. It is also further clarified that no circular or administrative order shall have precedence over the provisions of these Rules.

SCHEDULE – I  
NON-TRANSPORT VEHICLES  
PART - A

Category	Registration Marks/Numbers									Minimum reserve price for each number		Mode of Allotment
										Four Wheeled Vehicles (Rate in Rs.)	Two Wheeled Vehicles (Rate in Rs.)	
(1)	(2)									(3)	(4)	(5)
1	1									3,00,000	50,000	
2	2 to 9									1,00,000	25,000	
3	0011	0018	0022	0027	0033	0036	0044	0045	0055	1,00,000	25,000	Through E-Auction
	0054	0063	0066	0072	0077	0081	0088	0090	0099			
	0100	9000	9999	0123	1234	1111	7777	8888	0786			
4	0111	0222	0333	0444	0555	0666	0777	0888	0999	60,000	20,000	
	2222	3333	4444	5555	6666	1000	2000	3000	4000			
	5000	6000	7000	8000	7860							
5	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	NA	50,000	15,000	Through E-Auction
	1010	2020	3030	4040	5050	6060	7070	8080	NA			
	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900			
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900			
	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900			
	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900			
	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900			
	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900			
	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900			
	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900			
9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900				
6	0101	0202	0303	0404	0505	0606	0707	0808	0909	30,000	10,000	Through E-Auction
	1212	1313	1414	1515	1616	1717	1818	1919	NA			
	2121	2323	2424	2525	2626	2727	2828	2929				
	3131	3232	3434	3535	3636	3737	3838	3939				
	4141	4242	4343	4545	4646	4747	4848	4949				
	5151	5252	5353	5454	5656	5757	5858	5959	NA			
	6161	6262	6363	6464	6565	6767	6868	6969				
	7171	7272	7373	7474	7575	7676	7878	7979				
	8181	8282	8383	8484	8585	8686	8787	8989				
	9191	9292	9393	9494	9595	9696	9797	9898				
	7861	7862	7863	7864	7865	7866	7867	7868	7869			
	1786	2786	3786	4786	5786	6786	7786	8786	9786			
	1001	2002	3003	4004	5005	6006	7007	8008	NA			



7	Any other registration number which is not mentioned in category no 01 to 06 is sought by a person as a registration number of choice by jumping the chronological order of numbers in a series of registration marks, allotment shall be made on payment of additional fee through on-line software on First Come First Serve basis	15,000	5,000	First come first serve basis
---	--	--------	-------	------------------------------

PART – B

Registration Number (1)	Class of vehicle (2)	Fee to be levied (3)
Retention of existing Registration mark on purchase of new non- transport Four Wheeled vehicle or Two Wheeled Vehicles	Four Wheeled Vehicles	10% of the minimum Reserved Price of the category of the number to be retained or Rs. 15,000/- whichever is higher
	Two Wheeled Vehicles	10% of the minimum Reserved Price of the category of the number to be retained or Rs. 5,000/- whichever is higher

Conditions: -

1. The Retention of registration mark will be allowed, only if the registration mark has remained registered in the name of the applicant for a minimum period of three years on the date of application for retention.
2. The retention shall be allowed on payment of fee specified under column 3 of the Table.

SCHEDULE – II  
TRANSPORT VEHICLE

Category (1)	Registration Marks/numbers (2)								Rate in Rs. (3)	Mode of Allotment (4)
1	9009	9099	9100	9200	9300	9400	9500	9600	20,000	Through E-Auction
	9700	9786	9800	9900	9909	9990	9191	9292		
	9393	9494	9595	9696	9797	9898				
2	Any other registration mark which is not mentioned in category no 01 is sought by a person as a registration mark of choice by jumping the chronological order of numbers in a series of registration marks, the allotment shall be made on payment of additional fee through on-line software on First Come First Serve basis.								10,000	First come first serve basis

By Order and in the name of the Administrator of  
Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/-

**(Ashish Mohan)**

Director-cum-Joint Secretary (Transport)

\*\*\*